कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक–347 / / /बजट/08 भोपाल, दिनांक–28/2/09

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2008–09 में अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन

उपुर्यक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को, द्वितीय किश्त् अंतर्गत उनके नाम के समक्ष अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2008–09 में अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

स0क0	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	राशि
1.	शासकीय महाविद्यालय	सिहांवल	सीधी	1,00,000–00
2-	शासकीय कन्या महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	75,000–00
3-	शासकीय महाविद्यालय	नागौद	सतना	75,000–00
4-	शासकीय कन्या महाविद्यालय	इटारसी	इटारसी	10,000–00
5-	शासकीय महाविद्यालय	अंजड़	बड़वानी	20,000–00
	योग			2,80,000–00

उपरोक्त राशि का आहरण एवं व्यय मांग **संख्या–44–2202–03–104–7043–42–007 (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु**) आयोजनेतर मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट से विकलनीय होगा ।

(2) आवंटित राशि एवं पूर्व में आवंटित राशि से आपके द्वारा अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की पूर्ति कालखण्ड के आधार पर माह फरवरी–2009 तक सुनिश्चित करें । यदि राशि कम पड़ती है तो जनभागीदारी निधि से शेष राशि मिलाकर भुगतान सुनिश्चित करें । बजट उपलब्धता के आधार पर आगामी किश्त् से इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी । यह भी सुनिश्चत करें कि महाविद्यालय में कार्यरत सभी अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान में एकरूपता हों ।

(3) यह सुनिश्चित कर लें कि स्व–वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है ।

(4) अतिथि विद्वानों को मानेदय भुगतान के संबंध में, निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र कमांक–785/63/आउशि/शा–2/(5)/08 दि0 28.4.2008 की कंडिका 11,12 के अनुसार सुनिश्चित करें ।

(5) संबंधित अतिथि विद्वान को मानदेय राशि के भुगतान एवं आवंटित राशि कोषालय से आहरण पश्चात् जानकारी प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त आवंटन की किश्त् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।

(6) आवंटित राशि का उपयोग केवल **वित्तीय वर्ष 2008--09** में आमंत्रित अतिथि विद्वानों को **भुगतान राशि** की प्रतिपूर्ति हेतु करें ।

(7) उक्त आबंटन आयुक्त कोष–लेखा के सेंट्ल सर्वर पर लोड करा दिया गया है । मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा ।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठा.कमांक /954/बजट/08, भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश ।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश